

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली



सत्यमेव जयते

राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 32 | दिल्ली, अगस्त 19—अगस्त 25, 2011, बृहस्पतिवार/श्रावण 28—भाद्र 3, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 129, 133]  
 No. 32 | DELHI, AUGUST 19—AUGUST 25, 2011, THURSDAY/SRAVANA 28—BHADRA 3, 1933 [N.C.T.D. No. 129, 133]

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं  
 Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than  
 Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 11 अगस्त, 2011

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE  
AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 11th August, 2011

सं. फा.10 (2044)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15804.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सावनाह सीड्स प्रा. लि., 335/2, पहली मंजिल, एनएच-8, दया कॉम्प्लेक्स, रंगपुरी, नई दिल्ली-110037 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 9,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4113327 से 13113326 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 90,000 (रुपये नब्बे हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (204)/COS/(HQ/Cons. Duty/15804.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s.Savannah Seeds Pvt. Ltd. 335/2, 1st Floor, N.H.-8, Daya Complex, Rangpuri, New Delhi-110037 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 90,000 (Rupees ninety thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 9,00,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 4113327 to 13113326 to be issued by the said company.

दिल्ली, 12 अगस्त, 2011

सं. फा.10 (2041)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15823.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इनएबन्सा भारत प्रा. लि., 902 नौवीं मंजिल, इरोज कॉरपोरेट टावर, नेहरु प्लेस दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 9,62,41,300 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 343811 से 1306223 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 96,242 (रुपये छियाब्बे हजार दो सौ बयालिस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 12th August, 2011

**F. No. 10 (2041)/COS/(HQ/Cons. Duty/15823.—**In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Inabensa Bharat Pvt. Ltd., 902, 9th floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 96,242 (Rupees ninety six thousand two hundred forty two) only on the aggregate value of shares of ₹ 9,62,41,300 for equity shares certificates with distinctive Nos. 343811 to 1306223 to be issued by the said company.

दिल्ली, 17 अगस्त, 2011

सं. फा.10 (2038)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15955.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रिवरदीप इन्फ्रा प्रा. लि., पी-44, भू-तल, पाण्डव नगर, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-110091, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 17th August, 2011

**F. No. 10 (2038)/COS/(HQ/Cons. Duty/15955.—**In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue

Authority, Delhi hereby directs that M/s. Riverdeep Infra Private Limited., P-44, Ground Floor, Pandav Nagar, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1 to 10000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (2039)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15956.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री केएमजी रोलिंग प्रा. लि., 375, मेन रोड, गाजीपुर, दिल्ली-110096, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3743501 से 5743500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 20,000 (रुपये बीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10 (2039)/COS/(HQ/Cons. Duty/15956.—**In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. KMG Rolling Pvt. Ltd., 375, Main road, Ghazipur, Delhi-110096 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 20,000 (Rupees twenty thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 2,00,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 3743501 to 5743500 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (2035)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15966.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अर्बन शोर होलसेल इण्डिया प्रा. लि., 111 और 112 मायालैण्ड सेन्टर, नौरंग हाउस, 21 कस्तुरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 10,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 1,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1000 (रुपये एक हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10 (2035)/COS/(HQ/Cons. Duty/15966.—**In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of

read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Urban Shore Wholesale India Pvt. Ltd., 111 & 112 Mayaland Center, Naurang House, 21, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1000 (Rupees one thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 10,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1 to 1,00,000 to be issued by the said company.

**सं. फा.10 (2040)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15967.—**  
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एक्सा असिस्टेंस इण्डिया प्रा. लि., ए-265, पहली मंजिल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,20,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0002850001 से 0004050000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 12,000 (रुपये बारह हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10 (2040)/COS (HQ)/Cons. Duty/15967.—**  
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. AXA Assistance India Pvt. Ltd., A-265, First Floor, Defence Colony, New Delhi-110024 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 12,000 (Rupees twelve thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,20,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 0002850001 to 0004050000 to be issued by the said company.

**सं. फा.10 (2034)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15968.—**  
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एनटीएन एनईआई मेनुफैक्चरिंग इण्डिया प्रा. लि., 805, इण्टरनेशनल ट्रेड टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 60,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 12,75,001 से 18,75,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 6,00,000 (रुपये छः लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10 (2034)/COS(HQ)/Cons. Duty/15968.—**  
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. NTN NEI Manufacturing India Pvt. Ltd., 805, International Trade Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 6,00,000 (Rupees Six Lakh) only on the aggregate value of shares of ₹ 60,00,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 12,75,001 to 18,75,000 to be issued by the said company.

**सं. फा.10 (2036)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15969.—**  
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अर्बन शोर होलसेल इण्डिया प्रा. लि., 111 और 112 मायालैण्ड सेन्टर, नौरंग हाउस, 21, कस्तुरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,47,04,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,00,001 से 1,10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 14,704 (रुपये चौदह हजार सात सौ चार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10 (2036)/COS(HQ)/Cons. Duty/15969.—**  
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Urban Shore Wholesale India Pvt. Ltd., 111 & 112 Mayaland Center Naurang House, 21, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 14,704 (Rupees fourteen thousand seven hundred four) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,47,04,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1,00,001 to 1,10,000 to be issued by the said company.

**सं. फा.10 (2043)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15970.—**  
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री यूनिकॉड टेलिकॉम प्रा. लि., डी-15, पहली मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 59,18,540 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 591854 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 5,919 (रुपये पांच हजार

नौ सौ उन्नीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

**F. No. 10 (2043)/COS(HQ)/Cons. Duty/15970.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Unified Telecom Pvt. Ltd., E-15, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 5,919 (Rupees five thousand nine hundred nineteen) only on the aggregate value of shares of ₹ 59,18,540 for preference shares certificates with distinctive Nos. 1 to 591854 to be issued by the said company.

दिल्ली, 18 अगस्त, 2011

**सं. फा.10 (2050)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./16004.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एजेन्टेक (इण्डिया) प्रा. लि., 216-बी/6, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,19,31,200 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2308884 से 2418539 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 21,932 (रुपये इक्कीस हजार नौ सौ बत्तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के  
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,  
आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

Delhi, the 18th August, 2011

**F. No. 10 (2050)/COS(HQ)/Cons. Duty/16004.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ezentech (India) Pvt. Ltd., 216-B/6, Gautam Nagar, New Delhi -110049 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 21,932 (Rupees twenty one thousand nine hundred thirty two) only on the

aggregate value of shares of ₹ 2,19,31,200 for equity shares certificates with distinctive Nos. 2308884 to 2418539 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority  
Govt. of National Capital Territory of Delhi,  
R. K. MISRA, Special Inspector General (Registration)